Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में दलितों के लिए दिशा–निर्देश

मुनि तीर्थेश कुमार, शोधार्थी,

जैन (मानद विश्वविद्यालय) बेंगलूर

मार्गदर्शक – डॉ. अहमदी बेगम,सहायक प्रोफेसर,

समाज विज्ञान विभाग, जैन (मानद विश्वविद्यालय) बेंगलूर

उपमार्गदर्शक– डॉ. मैथिली प्र. राव, उपनिदेशक,

शोधार्थी प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन केन्द्र,

जैन (मानद विश्वविद्यालय) बेंगलूर

संक्षेप(Abstract)

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में दलितों के लिए दिये गये सुझावों की संकल्पना उस विधि से सम्बन्धित है जो शिक्षा में ज्ञान अंतर्वैयक्तिक कौशल और शिक्षा से वंचित दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि समाज में निम्नतम स्तर पर जीवनयापन करने वाले लोगों को दी जाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की गयी है। 'दलित शब्द भारतीय समाज में एक खास वर्ग के लिए प्रयुक्त होता आधुनिक संवेदना का प्रतिफलन है, जिसका अर्थ हिंदी शब्दकोश में 'मसला, रौंदा या कुचला'[1] हुआ बताया गया है। 1929 में लिखी एक कविता में राष्ट्रकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी 'दलित' शब्द का इस्तेमाल किया था जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये शब्द प्रचलन में तो था, लेकिन बड़े पैनामे पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। 1943 में "अणिमा" नाम के काव्य संग्रह में उनकी ये कविता छपी

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

दलित जन पर करो करूणा
दीनता पर उतर आये प्रभु
तुम्हारी शक्ति वरूणा।[2]

भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित समाज रहा है जिसके कारण निम्न और उच्च जातीय संरचना की अवधारणा मिलती है, यानी समाज में जिसका दलन हुआ हो, दमन हुआ जो, समाज में किसी खास वर्ण के द्वारा उपेक्षित, घृणित समझा गया हो, जातीयदंश में शोषण एवं सताया हुआ हो आदि समाज की ऐसी जातियों के समूह को आधुनिक संवेदना में दलित कहकर संबोधित किया जाता है। दलित शब्द के प्रचलन से पूर्व इसको विभिन्न नाम दिये गये। वैदिक–काल की वर्ण व्यवस्था और उससे उदभूत जाति व्यवस्था से जोड़कर ही दलित शब्द का इतिहास ठीक से देखा और समझा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सबसे निम्न स्थान प्राप्त शूद्र से निम्न जातियों–उपजातियों का विकास होता रहा, फिर इनको चांडाल, अस्पृश्य, अछूत, हरिजन आदि अनेक नामों से पुकारा जाता रहा। 'दलित' शब्द का अर्थ है दबाया हुआ, कुचला हुआ, उपेक्षित और वंचित आदि। रागाज गें जो वर्ग बहुत दिनों रो राताया, दबाया, कुचला, छला और प्रताड़ित किया जाता रहा है, वह दलित वर्ग है। अब दलित वर्ग का प्रयोग हिन्दू समाज व्यवस्था के अन्तर्गत परम्परागत रूप से शूद्र माने जाने वाले वर्गों के लिए रूढ़ हो गया है।[3] दलित वर्ग में वे जातियां आती हैं, जो शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर पर हैं और जिन्हें सदियों से विकास से वंचित रखा गया और जो अन्य उच्च श्रेणियों की तुलना में अधिकाधिक पिछड़ते गये। मानव जीवन एक उपहार है। शिक्षा के द्वारा इसे संवारा जाता है। शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, विशेष रूप से जो समाज के वंचित वर्ग हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में पीछे हो गये हैं, उनके लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में बल दिया जाता है। इस शोध अध्ययन में दलितों के शिक्षा से सम्बन्धित प्रभाव तथा अनुसंधान के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है। यह आने वाले समय में भावी शोधकर्ताओं के द्वारा उपयोग में लाया जा सके तथा शोध को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों पर भी अध्ययन किया जा सके।

मुख्य शब्द– दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शोषण, सामाजिक न्याय, वर्ण, व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

प्रस्तावना(Introduction)

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक युग में समाज के हर वर्ग में नये ढंग से सोचने समझने और आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। यह तभी सम्भव है जब समाज के हर वर्ग के लोग शिक्षित हों। बिना शिक्षा के मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। समाज का वह वर्ग जो अब तक शिक्षा से वंचित रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में विशेष प्रावधान किये जाते हैं। भारत का दलित समुदाय अपेक्षित शिक्षा से वंचित रहा है। इसलिए उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में, संविधान में, सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इसका लाभ उस वर्ग को मिल रहा है। दलित वर्ग में एक ओर अनुसूचित जातियां आती हैं तो दूसरी ओर इनमें अनुसूचित जनजातियां और विमुक्त जातियां भी सम्मिलित हैं। अनुसूचित जातियां ऐसी जातियां हैं जो आधुनिक सभ्य समाज से दूर प्रायः पर्वतीय अंचलों और मैदानी भागों में भी ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करती हैं जो अन्य लोगों की बस्तियों से अलग हटकर दूर हों और स्वेच्छा से गैर आदिम जातियों से घुलना–मिलना न चाहती हों। इनकी जीवन शैली अति प्राचीन है तथा ये अपनी एक विशिष्ट निजता, परम्परा और संस्कृति को अपने में समेटे हुए हैं। 1931 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया। अब इन्हें आदिवासी जातियों के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजातियां कहा गया है।[4] विमुक्त जातियां उन कबीलों और समुदायों को कहा जाता है, जिन्हें 1952 के पूर्व अपराधी प्रवृत्ति की जातियां कहा जाता था। 1871 में अपराधशील जातियों को सूचीबद्ध करने के लिए कानून बना। इसके अनुसार इन समुदायों को स्वभावतः अपराधी माना जाता और उत्पीड़ित किया जाता था। 1924 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया। स्वतंत्रता के बाद अगस्त 1952 में अपराधशील अधिनियम को समाप्त कर दिया गया तथा ये जातियां भी देश के अन्य नागरिकों के समान बराबर की श्रेणी में आ गईं। इस प्रकार दलित वर्ग के अन्तर्गत

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

कोरी, जाटव, बैरवां, महार, रविदासिया, मुसहर आदि अनेक जातिया आती हें जिन्हें संविधान में अनुसूचित जातियां और विमुक्त जातियों के नाम से सम्बोधित किया गया है। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इनके लिए दलित शब्द का प्रयोग हुआ। बाद में अन्य स्थानों पर भी इनके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।[5]

समाज में रहने वाले लोगों की स्थिति को सुधारने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। शिक्षा व्यक्ति को पूर्ण रूपेण विकसित करने हेतु एक प्रयोजनपूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयास है। जिससे व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान को ठीक से समझकर दूसरे के विचारों तथा भावों से तादात्म्य करके और इष्ट जगत का वास्तविक स्वरूप स्वयं में संजोकर आदर्श मानव बन सके। इस दृष्टि से शिक्षित मनुष्य की विशिष्टता यह है कि वह तत्कालीन समाज के साथ सभी दृष्टियों से सामंजस्य स्थापित कर सके। इसी संदर्भ में हम यहां यह विश्लेषण करना चाहेंगे कि क्या शिक्षा आदिवासी बच्चे को इस योग्य बना पा रही है कि वह स्वयं को समकालीन बहुसंस्कृति वाला समाज के अनुरूप ढाल लेता है अथवा नहीं। यदि शिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता तो सामाजिक विषमता पैदा हो ही जाती है। सम्पूर्ण भारत के विकास हेतु भारतीय संस्कृति और आदिवासी विविधता प्रधान संस्कृति में समुचित संतुलन होना परम आवश्यक है। इस स्तर पर पनपा असंतुलन, देश में सामाजिक असंतुलन अवश्य पैदा करेगा। बच्चे को स्कूल में जो पढ़ाया सिखाया जाता है, यदि घर और समाज में व्यवहार उसके विपरीत पाया जायेगा तो एक साधारण बच्चा शिक्षा के अनुपालन के बजाय वैसा ही आचरण करेगा जैसा घर और समाज में वह देखता भोगता और जीता है।

उद्देश्य(Objective)

स्कूल में जिन मूल्यों और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है व्यवहार में उनका उलट ही सामाने आता है। आज की शिक्षा को अव्यवहारिक और अनुपयोगी समझकर बच्चा

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

ऐसी शिक्षा से उदासीन हो जाता है और उसे नकार देता है। यदि हमारे देश के स्कूल इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति बद से बदतर ही होगी। इस शोध लेख का उद्देश्य–

1. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दलित शिक्षा नीतियों का विस्तृत ज्ञान कराना है।
2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन का दलितों पर प्रभाव।
3. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा नीति का दलितों पर कार्यान्वयन में चुनौतियां।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दलित शिक्षा नीतियों के सन्दर्भ में विशेष तत्व।
5. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दलित शिक्षा नीतियों की समीक्षा एवं सुदृढ़ीकरण के सुझाव।

सभी भारतीय नागरिकों तथा दलितों, पिछड़ों के उत्थान एवं संरक्षण हेतु भारत के संविधान में रखे गये शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधानों तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रशासनिक तथा संस्थागत प्रयासों के कारण काफी हद तक सुधार हुआ है। भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। इसके कारण भारतीय समाज में विघटन दिखाई देता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अन्त की बात कही गयी है।[6] संविधान में कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्ध करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

शोध प्रविधि(Methodology)

शिक्षा को विकास की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानकर, शैक्षिक व्यवस्था में सुधार तथा पुनःसंरचना की आवश्यकता अनुभव की, इसलिये भारत के नये संविधान में जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महाविधि शास्त्री व राजनीति शास्त्रियों द्वारा बनाया गया था, दलितों एवं अन्य दलित जातियों व समूहों द्वारा बनाया गया था। दलितों व अन्य जातियों व समूहों के कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण व्यवस्थायें की गयी थी। संविधान के अनुच्छेद में इस सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं। प्रस्तुत लेख में शोध प्रविधि के अन्तर्गत–

गुणात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध प्रविधि

साक्षात्कार एवं सर्वेक्षणात्मक विधि अपनायी जाएगी।

जाँच परिणाम(Findings)

दलित भारतीय समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। जो भेदभाव, शोषण, बहिष्कार के अति मानवीय स्वरूप का सामना करते हैं। एक दलित का जीवन अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों से भरा होता है। संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम 1992 और उसके परिणाम स्वरूप दलितों समेत अन्य समुदायों के राजनैतिक सामर्थ्य में वृद्धि पर सर्वाधिक चर्चा रही है। उत्तरप्रदेश के दलितों की आर्थिक स्थिति के साथ शैक्षिक सुधार आवश्यक है। दलितों में जागरूकता आये, और राजनीति के साथ सामाजिक स्थिति में भी सहभागिता बढ़े यह बहुत आवश्यक है।

स्वतंत्रता के पूर्व दलित शिक्षा

अंग्रेजी शासनकाल में 1882 से लेकर 1902 तक की अवधि में हरिजनों एवं पिछड़ी जाति की शिक्षा में आशातित वृद्धि हुई। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार राजकीय विद्यालयों में हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाने लगा, परन्तु

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

स्वर्णो हिन्दुओं ने सरकार की इस नीति का विरोध किया है। अतः सरकार के आयोग के सुझाव को स्वीकार करके हरिजनों के लिए एवं पिछड़ी जातियों के लिए विशेष स्तर के विद्यालय प्राथमिक स्तर पर खोले गये। गांव–गांव में स्कूल खोले गये, हरिजनों के बालकों ने प्रवेश लिया एवं शिक्षा ग्रहण की।[7]

शिक्षा विभाग ने पुनः अपना सुझाव दिया कि सरकारी स्कूलों में सभी बालकों को बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। जनता ने सरकार की दृढ़ता का रूख देखकर विरोध करना बन्द कर दिया था क्योंकि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और नौकरी की दृष्टि से अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक था। समाज में अब हरिजनों में जागृति आने लगी थी कुछ प्रान्तीय सरकारों ने भी हरिजनों व दलितों के प्रति उदारता का भाव रखा तथा उन्होंने अनेक नियम बनाकर प्रत्येक सम्भव रीति से प्रोत्साहित किया।

1893 में मद्रास की सरकार ने हरिजनों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया, इस प्रस्ताव को पंचम शिक्षा का महाधिकार पत्र माना गया। इस प्रस्ताव के मुख्य धारायें निम्नलिखित हैं[8] –

1. प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक पंचम छात्र को दो रुपये मासिक कृतिका दी जायेगी।

2. गैर सरकारी प्रशिक्षण विद्यालय में पंचम छात्र प्रवेश लें और उन्हें अधिक सहायता अनुदान दिया जायेगा।

3. नगर की पालिकायें, बड़े नगरों में पंचम छात्रों के लिए स्कूल खोलें।

4. सरकारी बंजर भूमि को पंचम विद्यालयों के निर्माण के लिए दे दिया जाये।

5. पंचम वर्ग के लिए रात्रि पाठशालायें स्थापित की जायें।

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

इस प्रकार तत्कालीन व्यवस्था में हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं। हरिजन अध्यापकों के लिए मद्रास में प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। मद्रास की तरह मुम्बई तथा अन्य प्रान्तों में भी हरिजनों व दलितों की शिक्षा के लिए प्रयास किये गये। परन्तु ज्यादा सफल नहीं हुए। उत्तरी भारत में हरिजनों की शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्तर पर तो ठीक थी परन्तु फिर भी पिछड़ी रही। मिशनरियों ने भी हरिजनों की शिक्षा का प्रयास किया।

दलित शिक्षा 1903 से 1921

इस अवधि में हरिजनों की शिक्षा में काफी प्रगति हुई। अब हरिजन छात्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। हरिजनों की शिक्षा के लिए सरकारी व व्यक्तिगत रूप से प्रयास किये जा रहे थे। एक सरकारी प्रयास के अन्तर्गत 1. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, 2. छात्रवृत्ति आर्थिक सहयोग, 3. छात्रावासों का प्रबन्ध, 4. विद्यालयों को अनुदान, 5. हरिजन शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

व्यक्तिगत प्रयास

अब हिन्दु स्वर्ण भी समाज से अस्पृश्यता के कलंक को धो लेना चाहते थे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाज अछूतों के लिए कार्य कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने अस्पृश्यता को दूर करने तथा सम्पूर्ण नष्ट करने के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना की। 1902 में श्री अमृतलाल ठक्कर ने जीवन भर हरिजनों के लिए काम किया। 1906 में बिठ्ठल राम जी सिंध ने दलित वर्ग उद्धार समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए महान काम किये। उन्होंने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया। डा. अम्बेडकर की उन्नति के लिए कार्य किया। बड़ौदा और कोल्हापुर के नरेशों ने हरिजनों के उद्धार के लिए भागीरथ कार्य किया। कई विशेष विद्यालय खोले गए। छात्रावास खोले तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई।

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

दलित शिक्षा 1921 से 1934

सन् 1921 में प्रान्तीय शिक्षा का संचालन भारतीय मन्त्रियों के हाथों में आ जाने से हरिजन शिक्षा की प्रगति में तेजी आई। विभिन्न प्रान्तों में हरिजन शिक्षा का विस्तार करने के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय बन्द किए जाने लगे। 1937 तक हरिजन बालक बिना किसी कठिनाई के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने लग गए थे।[9]

महात्मा गांधी ने हरिजनों की शिक्षा तथा उनके उद्धार व समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हरिजनों को समाज में स्थान दिए बिना 'स्वराज्य' की कल्पना निरर्थक है। परन्तु समाज में भी हरिजनों के साथ, समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा था। 1933 में महात्मा गांधी ने 'हरिजन' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।

डा. अम्बेडकर ने हरिजनों को राजनीतिक–सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य किया।

दलित शिक्षा 1934 से 1947

1937 में विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पास प्रशासकीय शक्तियाँ आ जाने से हरिजनों की शिक्षा को बढ़ाने का अवसर मिला। सभी प्रान्तों में अस्पृश्यता का अन्त करने के लिए अधिनियम बनाए गए। हरिजनों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के अवसर प्रदान किए गए। हरिजनों के लिए स्थापित विशेष विद्यालयों को समाप्त कर दिया गया। सभी के लिए सरकारी विद्यालयों के द्वार खोल दिए गए। इनके लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें, छात्रावास खोले गए। मेडिकल व इंजीनियरिंग की शिक्षा में भी हरिजनों को विशेष सुविधा दी जाने लगी। उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी स्थापना की गई।[10]

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

1942 में डा. अम्बेडकर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बने। उनके प्रयास से केन्द्रीय सरकार के हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ देने की स्वीकृति दी।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने हरिजनों की तरह आदिवासियों तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्तियां देना शुरू कर दिया। इस प्रकार समाज में दलित वर्गों का उत्थान होने लगा।

स्वतंत्रता के पश्चात दलित शिक्षा

सन् 1947 ई में स्वतंत्रता के साथ भारत को विरासत में मिलने वाली शिक्षा व्यवस्था न केवल मात्रात्मक रूप से सीमित थी अपितु उसमें क्षेत्रीय एवं ढांचागत असंतुलन भी विद्यमान थे। केवल 14 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी और प्रत्येक तीन में से एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नामांकित था।[11]

26 जनवरी, 1950 को देश में नया संविधान लागू हुआ। इस संविधान के निर्माताओं ने जाना कि समाज में कुछ समुदाय प्राचीन काल से छुआछूत के व्यवहार से ग्रसित हैं। इस समुदाय में अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन है। इस समुदाय के हितों के संरक्षण तथा उनके सामाजिक विकास हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समुदाय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के खण्ड 1 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख करते हुए उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के साथ ही उनके लिए अवसर की समानता पर विशेष बल दिया गया।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव अनुसूचित जाति के लिए दिशा निर्देश

भारतीय संसद द्वारा 1986 में अंगीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के अवसरों में असमानता को दूर करके समानता स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसके कुछ संगत अंश निम्न प्रकार है[12] –

1. अनुसूचित जाति परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन किया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से विद्यालय भेज सकें।
2. अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान।
3. जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए छात्रावासों की सुविधाओं में क्रमिक रूप से वृद्धि करना।
4. विद्यालय, भवनों, बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना।
5. अनुसूचित जाति के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना।
6. अनुसूचित जाति शिक्षा प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नवीन तरीकों की खोज करना।

जिन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई है वे हमारे संविधान में ही निहित है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जात–पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

राममूर्ति समिति के पश्चात 1991 में भारतीय जनगानानुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 37.41 (पुरुष 49.97, महिला 22.76) रही। जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की शैक्षिक दिशा में किये गए प्रयासों का व्यावहारिक रूप देखने को मिला। तुलनात्मक रूप से देखें तो 1981–1991 के दशक में इस वर्ग की साक्षरता दर में 16.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राममूर्ति समिति के सुझावों को अमल में लाने से पूर्व ही केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और समीक्षा समिति 1990 ई. के संदर्भ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड के अनुरोध पर 1992 में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में पुर्ननिरीक्षण समिति का गठन किया। संशोधित शिक्षा नीति 1992, 23 भागों में विभाजित थी। इस समिति ने यह महसूस किया कि समाज के पिछड़े वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं महिलाओं) की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए क्योंकि राष्ट्र की उन्नति के लिए इनका विकास अति आवश्यक है। इस दृष्टि से इस वर्ग में सुधार के लिए आवश्यक है कि इन्हें शैक्षिक रूप से सशक्त बनाया जाए। फलस्वरूप शिक्षा संस्थानों में विशेष स्थान सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। (डा. डी.एस. श्रीवास्तव, 2008)[13]

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षाक्रम के ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें एक सामान्य केन्द्रिक होगा और अन्य हिस्सों की बात लचीलापन रहेगा, जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा। सामान्य केन्द्रिक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में उपयुक्त स्थानों पर रखे जाएंगे। इनके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इंसान की सोच और जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में अग्रलिखित बातें शामिल हैं– हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री–पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीके के अमल की

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

जरूरत। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप ही आयोजित हों।

समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी भी जरूरी है जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिलें। इसके अतिरिक्त, समानता की मूलभूत अनुभूति केन्द्रिक शिक्षाक्रम के द्वारा करवाई जाएगी। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रह और कुंठाएं दूर हों।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई, 1988 को आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 2005 तक देश में 75 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना है जिसमें भविष्य में किन्हीं भी कारणों से कमी न हो। यह 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों को व्यवहारोपयोगी साक्षरता प्रदान करने पर बल देता है। व्यवहारोपयोगी साक्षरता का तात्पर्य है– ऐसे लोग जो पढ़ना, लिखना तथा दैनिक व्यवहार में काम आने वाला सामान्य ज्ञान और गणित सीख जायें, वंचना के कारणों के प्रति जागरूक हो जाएं, संगठित होकर और विकास प्रक्रिया में भागीदार बन कर आगे बढ़ते जाएं। अपनी आर्थिक स्थिति और सामान्य खुशहाली बढ़ाने हेतु अपनी कुशलता सुधार लें। इन्हें राष्ट्रीय एकता, वातावरण संरक्षण, लिंग समता और छोटे परिवार जैसे मूल्यों की समझ हो जाये।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान का सम्बन्ध यूनिसेफ द्वारा आधार शिक्षा के विस्तार के प्रति व्यक्त की गई प्रतिबद्धता से जुड़ता है। जिसका उल्लेख 1990 में सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी विश्व घोषणा में किया गया। इस बात की पुष्टि डकर में विश्व शिक्षा फोरम के 2000 में हुए सम्मेलन में की गई। उक्त

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

घोषणा में प्राथमिक शिक्षा को मूल एवं अनिवार्य अधिकार के रूप में माना गया और उसका समर्थन किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मूल एवं अनिवार्य अधिकार प्राथमिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए तथा बच्चे को अपेक्षित स्तर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में यूनिसेफ में 1996 से 2005 तक की अवधि के लिए सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया, जिसे सभी सदस्य देशों के सहयोग से लागू करने की भी आशा की गई। इसमें बालिका शिक्षा और उसके लिए प्रभावी शिक्षा नीति भी तैयार की गई ताकि संशोधित शिक्षा पद्धति में लड़कियां, लड़कों के समान ही शिक्षा ग्रहण कर सकें और योग्य बन सकें।

निष्कर्ष(Conclusion)

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किये जा रहे हैं। दलित शिक्षा से वंचित न रह जायें इसलिए उन्हें सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा के द्वारा दलितों में जागरूकता उत्पन्न हो रही है। उनके बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में रूचि ले रहे हैं। जब समाज का सभी वर्ग शिक्षा से जुड़ेगा तो निश्चित ही देश आगे बढ़ेगा।

संविधान में दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बनाए गए। भारतीय संविधान के तृतीय खंड में सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। दलितों के प्रति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य कानूनों में निर्दिष्ट सजाओं को अधिक कठोर बना दिया गया है। भारतीय संविधान के 65 वें संशोधन के अनुपालन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है जो 12 मार्च 1992 से कार्यरत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के विधायी अध्यादेश के अन्तर्गत की गई।[14]

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:11(4), November: 2022
Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd November 2022
Publication Date:10th December 2022
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.11.73
www.ijmer.in

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रामचन्द्र वर्मा, प्रमाणिक हिन्दी कोष, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली 1997 पृष्ठ नं. 341
2. क्विंट हिंदी, आशुतोष सिंह, अगस्त 2016
3. डा.यदुलाल कुसुम, दलित शिक्षा का परिदृश्य, कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली 2006 पृष्ठ नं. 17
4. वही पृष्ठ नं. 18
5. वही पृष्ठ नं. 18
6. वही पृष्ठ नं. 18
7. एस.एम. माईकल आधुनिक भारत में दलित दृष्टि एवं मूल्य, रावत प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ नं. 91
8. सुरेश भटनागर, लाल बुक डिपो, मेरठ पृष्ठ सं. 42
9. वही पृष्ठ नं. 43
10. एस.एम. माईकल आधुनिक भारत में दलित दृष्टि एवं मूल्य, रावत प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ नं. 101
11. डॉ. संतोष कुमार सिंह, दलित शिक्षा की वर्तमान स्थिति, मनीष प्रकाशन, वाराणसी, प्रकाशन वर्ष 2015, पृष्ठ 113।

12- Jouurnal of Interdisciplinary cycle research volume XII, Issue will July 2020 Pg. 1502

13. वही पृष्ठ नं. 1503
14. डॉ. संतोष कुमार सिंह, दलित शिक्षा की वर्तमान स्थिति, मनीष प्रकाशन, वाराणसी, प्रकाशन वर्ष 2015, पृष्ठ नं. 115